



Helpline No.:-(+91)-7597122440

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
मदाऊ, भांकरोटा-मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई-मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141-2850551-75

क्रमांक: प.(01) / जरारासंविधि / पीएसएसटी / 23 /

दिनांक: 21 / 02 / 2023

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पीएसएसटी, पीएसएसएसटी-2022 के काउंसलिंग कार्यक्रम / महाविद्यालयों में छात्रों का आवंटन / काउंसलिंग संबंधित प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न शिकायतें माननीय कुलपति महोदय को प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायतों की जांच / पारदर्शिता का निर्धारण किये जाने हेतु निम्नानुसार उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया जाता है-

1. प्रो. भास्कर शर्मा, निदेशक संस्कृत शिक्षा, राज. सरकार, जयपुर-संयोजक
 2. प्रो. सुदेश शर्मा, निदेशक, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर, जयपुर
 3. डॉ. मथुरेश्वर पारीक, से.नि. प्रोफेसर एवं अधिष्ठाता शिक्षा विभाग, राज. वि.वि. जयपुर
- उक्त समिति शिकायतकर्ताओं / छात्रों से प्राप्त शिकायत संबंधी अभिलेखों के आधार पर समस्त प्रकरण की जांच कर 15 दिवस में अपनी रिपोर्ट माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी। श्री रामप्रसाद जांगिड़, सहायक कुलसचिव, जरारासंविधि, जयपुर (व्याख्याता, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राज. सरकार, जयपुर) विश्वविद्यालय एवं जांच समिति के मध्य समन्वय स्थापित कर जांच में सहयोग प्रदान करेंगे।

उक्त आदेश माननीय कुलपति महोदय से अनुमोदित है।

(डॉ. राजधर मिश्र)
कुलसचिव

क्रमांक: प.(01) / जरारासंविधि / पीएसएसटी-22 / 23 /

दिनांक: 21 / 02 / 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, मान. कुलपति महोदय, जरारासंविधि, जयपुर।
2. प्रो. भास्कर शर्मा, निदेशक संस्कृत शिक्षा, राज. सरकार, जयपुर-संयोजक
3. प्रो. सुदेश शर्मा, निदेशक, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर, जयपुर
4. डॉ. मथुरेश्वर पारीक, से.नि. प्रोफेसर एवं अधिष्ठाता शिक्षा विभाग, राज. वि.वि. जयपुर
5. श्री रामप्रसाद जांगिड़, सहायक कुलसचिव, जरारासंविधि, जयपुर (व्याख्याता, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राज. सरकार, जयपुर)
6. प्राचार्य / प्रबन्धक, समस्त सम्बद्ध शिक्षाशास्त्री महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि पीएसएसटी-2022 के संबंध में जो भी शिकायतें हों, कुलसचिव एवं समन्वयक, पीएसएसटी-2022 जरारासंविधि, जयपुर को 7 दिवस में लिखित में प्रस्तुत करें।
7. प्रभारी बेवसाईट, जरारासंविधि, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को संबंधित बेवसाईट पर अपलोड एवं संबंधित को ईमेल कराना सुनिश्चित करें।
8. संबंधित अभ्यर्थियों को, पीएसएसटी-2022 से संबंधित शिकायत हो, 7 दिवस में कुलसचिव एवं समन्वयक, पीएसएसटी-2022 जरारासंविधि, जयपुर को लिखित में प्रस्तुत करावें।

कुलसचिव